

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
मांग संख्या 57
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	72554.50	...	72554.50	82516.30	...	82516.30	87392.79	...	87392.79	97435.76	...	97435.76
वसूलियां	-25954.06	...	-25954.06	-32516.30	...	-32516.30	-37279.04	...	-37279.04	-41049.13	...	-41049.13
प्राप्तियां
निवल	46600.44	...	46600.44	50000.00	...	50000.00	50113.75	...	50113.75	56386.63	...	56386.63
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	18.38	...	18.38	22.00	...	22.00	24.60	...	24.60	24.90	...	24.90
2. प्रौढ शिक्षा निदेशालय	6.22	...	6.22	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	24.60	...	24.60	30.00	...	30.00	32.60	...	32.60	32.90	...	32.90
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
3. डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	2.61	...	2.61	2.90	...	2.90	1.30	...	1.30	3.00	...	3.00
5. राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना												
5.01 सकल बजट सहायता से प्राप्त राशि	265.19	...	265.19	33.74	...	33.74	33.74	...	33.74	57.18	...	57.18
5.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से प्राप्त राशि	266.00	...	266.00	266.00	...	266.00	311.02	...	311.02
जोड़- राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना	265.19	...	265.19	299.74	...	299.74	299.74	...	299.74	368.20	...	368.20
6. राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना												
6.01 सकल बजट सहायता से प्राप्त राशि	292.38	...	292.38	28.90	...	28.90	28.90	...	28.90	20.00	...	20.00
6.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से प्राप्त राशि	227.00	...	227.00	227.00	...	227.00	80.00	...	80.00
जोड़- राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना	292.38	...	292.38	255.90	...	255.90	255.90	...	255.90	100.00	...	100.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	560.18	...	560.18	558.55	...	558.55	556.95	...	556.95	471.20	...	471.20
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)												
7.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	407.01	...	407.01	581.75	...	581.75	862.00	...	862.00
7.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता (एनआईएफ)	4590.24	...	4590.24	4425.00	...	4425.00	4425.00	...	4425.00	4000.00	...	4000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)	4997.25	...	4997.25	4425.00	...	4425.00	5006.75	...	5006.75	4862.00	...	4862.00
8. नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)												
8.01 सकल बजटीय सहायता से मदद (जीबीएस)	956.95	...	956.95	2505.85	...	2505.85
8.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता	2228.05	...	2228.05	287.15	...	287.15	287.15	...	287.15
8.03 सीआरआईएफ से सहायता	2925.85	...	2925.85	3068.00	...	3068.00
जोड़- नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)	3185.00	...	3185.00	2793.00	...	2793.00	3213.00	...	3213.00	3068.00	...	3068.00
9. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)	288.71	...	288.71	253.94	...	253.94	283.94	...	283.94	277.38	...	277.38
10. केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	69.72	...	69.72	56.00	...	56.00	66.00	...	66.00	61.25	...	61.25
11. राष्ट्रीय बाल भवन	16.71	...	16.71	20.00	...	20.00	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00
12. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) को अंतरण	6828.58	...	6828.58	4712.15	...	4712.15	4712.15	...	4712.15	4000.00	...	4000.00
13. राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरा किया गया व्यय	-6818.29	...	-6818.29	-4712.15	...	-4712.15	-4712.15	...	-4712.15	-4000.00	...	-4000.00
14. केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को अंतरण	2925.85	...	2925.85	3068.00	...	3068.00
15. केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरी की गई राशि	-2925.85	...	-2925.85	-3068.00	...	-3068.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	8567.68	...	8567.68	7547.94	...	7547.94	8590.69	...	8590.69	8289.63	...	8289.63
अन्य												
16. प्रौढ शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों/राज्य संसाधन केंद्रों/संस्थाओं को सहायता	35.02	...	35.02	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
17. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00	0.33	...	0.33	0.50	...	0.50
18. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतरण	4141.05	...	4141.05	4413.14	...	4413.14	5061.02	...	5061.02
19. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	-4141.05	...	-4141.05	-4413.14	...	-4413.14	-5061.02	...	-5061.02
जोड़-अन्य	35.03	...	35.03	31.00	...	31.00	30.33	...	30.33	0.50	...	0.50
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	8602.71	...	8602.71	7578.94	...	7578.94	8621.02	...	8621.02	8290.13	...	8290.13
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन												
20. समग्र शिक्षा												
20.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता	11408.00	...	11408.00
20.02 ईएपी घटक
20.03 प्रारंभिक शिक्षा कोष से सहायता	20244.00	...	20244.00
20.04 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से सहायता	4670.00	...	4670.00
जोड़- समग्र शिक्षा	36322.00	...	36322.00
21. सर्व शिक्षा अभियान												
21.01 सकल बजटीय सहायता से पूरी गई राशि	8895.96	...	8895.96	9528.81	...	9528.81	7490.61	...	7490.61

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
21.02	ईएपी घटक	1415.86	...	1415.86	
21.03	प्रारंभिक शिक्षा कोष से पूरी गई राशि	13171.78	...	13171.78	16600.00	...	16600.00	18638.20	...	18638.20	
	जोड़- सर्व शिक्षा अभियान	23483.60	...	23483.60	26128.81	...	26128.81	26128.81	...	26128.81	
22.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान												
22.01	कार्यक्रम घटक	4033.44	...	4033.44	564.95	...	564.95	243.86	...	243.86	
22.02	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से सहायता	3648.05	...	3648.05	3920.14	...	3920.14	
22.03	ईएपी घटक	
	जोड़- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	4033.44	...	4033.44	4213.00	...	4213.00	4164.00	...	4164.00	
23.	अध्यापक प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा												
23.01	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण	478.32	...	478.32	550.00	...	550.00	488.00	...	488.00	
23.02	भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	50.00	...	50.00	
23.03	स्कूल आकलन कार्यक्रम	0.70	...	0.70	0.23	...	0.23	
23.04	साक्षर भारत	213.16	...	213.16	320.00	...	320.00	52.95	...	52.95	
23.05	पढ़ना लिखना अभियान	100.40	...	100.40	
	जोड़- अध्यापक प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा	691.48	...	691.48	870.70	...	870.70	541.18	...	541.18	150.40	150.40	
	जोड़-राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	28208.52	...	28208.52	31212.51	...	31212.51	30833.99	...	30833.99	36472.40	...	36472.40
	राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम												
24.	राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम												
24.01	सकल वजटीय सहायता से पूरी गई राशि	3176.07	...	3176.07	3436.90	...	3436.90	3359.34	...	3359.34	2323.89	...	2323.89
24.02	प्रारंभिक शिक्षा कोष से पूरी गई राशि	5916.23	...	5916.23	7063.10	...	7063.10	6589.70	...	6589.70	8676.11	...	8676.11
	जोड़- राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	9092.30	...	9092.30	10500.00	...	10500.00	9949.04	...	9949.04	11000.00	...	11000.00
25.	प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) को अंतरण	19139.80	...	19139.80	23663.10	...	23663.10	25227.90	...	25227.90	28920.11	...	28920.11
26.	प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) से पूरी की गई राशि	-19091.14	...	-19091.14	-23663.10	...	-23663.10	-25227.90	...	-25227.90	-28920.11	...	-28920.11
	अल्पसंख्यक विकास अम्ब्रैला कार्यक्रम												
27.	मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	107.89	...	107.89	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00
28.	पहुंच और इकटिटी	0.21	...	0.21	0.15	...	0.15	
	जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	37457.58	...	37457.58	41832.51	...	41832.51	40903.18	...	40903.18	47592.40	...	47592.40
	अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
29.	वास्तविक वसूलियां	-44.63	...	-44.63	
	कुल जोड़	46600.44	...	46600.44	50000.00	...	50000.00	50113.75	...	50113.75	56386.63	...	56386.63
ख.	विकासाल्पकशीर्ष												
	सामाजिक सेवाएं												
1.	सामान्य शिक्षा	9387.59	...	9387.59	11887.34	...	11887.34	13386.43	...	13386.43	13694.27	...	13694.27
2.	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	16.29	...	16.29	22.00	...	22.00	24.60	...	24.60	24.90	...	24.90

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सामाजिक सेवाएं	9403.88	...	9403.88	11909.34	...	11909.34	13411.03	...	13411.03	13719.17	...	13719.17
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	4457.73	...	4457.73	3952.14	...	3952.14	4582.70	...	4582.70
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	36979.94	...	36979.94	33243.60	...	33243.60	32371.26	...	32371.26	37631.23	...	37631.23
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	216.62	...	216.62	389.33	...	389.33	379.32	...	379.32	453.53	...	453.53
जोड़-अन्य	37196.56	...	37196.56	38090.66	...	38090.66	36702.72	...	36702.72	42667.46	...	42667.46
कुल जोड़	46600.44	...	46600.44	50000.00	...	50000.00	50113.75	...	50113.75	56386.63	...	56386.63

- सचिवालय:** इसमें विभाग के सचिवालय व्यय का प्रावधान होता है।
- प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय:** प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता आ रहा है। इस निदेशालय की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आरंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों को अकादमिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।
- डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग:** इस योजना का उद्देश्य स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की डिजिटल पहलों का पूरा करना है।
- शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार:** वर्ष 1958 में आरंभ, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राथमिक, मिडिल तथा माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत मेधावी शिक्षकों को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 5 सितम्बर (शिक्षक दिवस) को प्रदान किए जाते हैं।
- राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना:** राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना, जो वर्ष 2008 में आरंभ की गई थी में, कक्षा IX स्तर पर 6000/- रुपये प्रतिवर्ष (500/- रुपये प्रतिमास) की एक लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रावधान है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर कक्षा XII तक जारी रह सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना है ताकि उनमें कक्षा VIII पर स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम किया जा सके और उन्हें माध्यमिक स्तर अर्थात् कक्षा XII तक पढाई जारी रखने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।
- राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना:** वर्ष 2006-07 के लिए बजट पेश करते समय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा में पढ़ रही बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना वर्ष 2008-09 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे समर्थ वातावरण की स्थापना करना है ताकि स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके और अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों की बालिकाओं का माध्यमिक स्कूलों में नामांकन बढ़ाकर उन्हें वहां बनाए रखने को सुनिश्चित किया जा सके।

- केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस):** केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना वर्ष 1965 में एक पंजीकृत निकाय के रूप में की गई थी जो केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, नियंत्रण तथा उनके प्रबंधन के लिए पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (वर्ष 1992 में यथासंशोधित) के अनुसरण में, आवासीय स्कूलों की स्थापना के संबंध में है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से मेधावी बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके। भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) खोलने की एक केन्द्रीय योजना आरंभ की गई थी। ये जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय समिति नामक एक स्वायत्त संगठन द्वारा चलाई जाती है जिसकी स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत, वर्ष 1986 में की गई थी।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी):** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की स्थापना, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा विभागों को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यवाहियों को अंतिम रूप देने सहित उनकी नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए, विशेषकर स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सुधार लाने हेतु सलाह तथा सहायता देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन:** केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) वर्ष 1961 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में फैले हुए तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। इस प्रशासन के पास 79 स्कूल हैं।
- राष्ट्रीय बाल भवन:** राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीवी), नई दिल्ली की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पहल पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में एक स्वारयत्त निकाय के रूप में की गई थी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है। राष्ट्रीय बाल भवन 5-16 वर्षों के आयु समूह के बच्चों को विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों में सृजनात्मकता प्राप्त करने के लिए अपना योगदान करता आ रहा है।

16. **प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों/राज्य संसाधन केंद्रों/संस्थाओं को सहायता:** इस योजना में प्रौढ़ शिक्षा तथा जनशिक्षण संस्था न के क्षेत्र में एनजीओ को सहायता देने की दो वर्तमान योजनाओं का सम्मिश्रण है। इस योजना के अंतर्गत 15-35 वर्ष के आयु समूह के प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षरता प्रदान करने के लिए एनजीओ को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एनजीओ द्वारा प्रशासित राज्यत संसाधन केंद्रों को भी सहायता प्राप्त होती है।

17. **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण:** राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के एक स्वायत्त विंग के रूप में की गई थी।

20. **समग्र शिक्षा:**

21. **सर्व शिक्षा अभियान:** सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो देश में आरंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। यह एसएसए आरंभिक शिक्षा में पहुंच, प्रतिधारण तथा गुणवत्ता सुधार को सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी जिलों को कवर करता है।

22. **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान:** सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के कार्यान्वीयन के एक अनुवर्ती परिणाम के रूप में उच्चा प्राईमरी स्तर पर छात्रों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई है, यह आवश्यक माना गया है कि माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच की बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जाए। तदनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) नामक एक नई योजना मार्च, 2009 में शुरू की गई थी इस स्कीम का कार्यान्वयन वर्ष 2009-10 में आरंभ हुआ था।

23. **शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण:** इसमें नीचे बताए गए पाँच योजनाएं शामिल हैं:

23.01. **शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण:** इस योजना का उद्देश्य वैश्विक स्तर के शैक्षणिक स्टाफ को तैयार करना है। इस योजना में आरटीई के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए राज्यों में समग्र शिक्षा विकास सहित अध्यापक शिक्षा के एकीकरण पर विचार किया गया है। यह योजना अध्यापक शिक्षा संस्थाओं, विशेषकर पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों जहां इसकी कमी है, की क्षमता का विस्तार करने में मदद करेगी और बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित अध्यापकों की समस्या का भी समाधान करेगी।

23.02. **भाषा शिक्षकों की नियुक्ति:** इस योजना के अंतर्गत, गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति, उन स्था नों में जहां 25% से अधिक जनसंख्या उर्दू बोलने वाले समुदाय की है वहां उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, उन हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों में, जो इसकी मांग करते हैं में एक तीसरी भाषा पढ़ाने के लिए आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

23.03. **स्कूल आकलन कार्यक्रम:** यह स्कूलों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यक्रम है।

23.04. **साक्षर भारत:** नव-साक्षरों के लिए साक्षरता अभियान एवं संचालन बहाली (लिटरेसी कैम्पेन एंड ऑपरेशन रेस्टोरेशन) और सतत शिक्षा की मौजूदा योजनाओं को प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास की एकल योजना में विलय कर दिया गया है और यह योजना साक्षर भारत कार्यक्रम नाम से जानी जाती है और इसके अंतर्गत मौजूदा योजनाओं को समाविष्ट किया जाएगा।

23.05. **पढ़ना लिखना अभियान:** साक्षर भारत की मौजूदा योजना को पढ़ना लिखना अभियान के रूप में संशोधित किया गया है, जिसके तहत वयस्क शिक्षार्थियों को साक्षर बनाया जाना है।

24. **राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम:** स्कूलों के बच्चों में नामांकन बढ़ाने, उन्हें बनाए रखने और उपस्थिति के साथ-साथ उनमें पोषकता स्तरों को बढ़ाने के उद्देश्य से 1995 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषकता सहायता कार्यक्रम आरंभ किया गया था। 2008-09 से आगे यह कार्यक्रम देशभर के सभी क्षेत्रों में कक्षा I से VIII तक पढ़ रहे सभी बच्चों को कवर करता है।

27. **मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना:** इस योजना में मदरसों में गुणवत्ता सुधार लाने की व्यवस्था है ताकि मुस्लिम बच्चे औपचारिक शिक्षा विषय में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्राप्त कर सकें।